

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति

राशन कार्ड पुनः चालू करने बाबत प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री.....पुत्र / पुत्री / पत्नी
.....निवासी.....
का / की स्थाई निवासी है। इनका राशन कार्ड नंबर..... तथा जन
आधार कार्ड नंबर है।

उक्त उपभोक्ता द्वारा लगातार खाद्य सामग्री प्राप्त की जा रही थी लेकिन इनका राशन कार्ड पलायन /
मृत्यु / डबल / सीडिंग नहीं होने के कारण डिलीट हो गया है परन्तु उपभोक्ता का राशन कार्ड सही है एवं
निम्न बिंदुओं के आधार पर पुनः चालू करवाने की अनुशंसा की जाती है।

1. उपभोक्ता का डबल/दोहरा राशनकार्ड बना हुआ नहीं है।
2. उपभोक्ता का जन आधार बना हुआ है।
3. उपभोक्ता इसी गाव में निवास करता है।
4. उपभोक्ता या इनके परिवार का / के सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।
5. उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए पात्र है / पात्र नहीं है।

सरपंच
ग्राम पंचायत.....

हस्ताक्षर मय सील ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....